राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2594/2016/भरतपुर
2. अपील संख्या 2595/2016/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत प्रतिकरावंचन, भरतपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स जे0एच0 इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल,
नदबई। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 11.10.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त दोनों अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"केन्द्रीय अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 65 एवं 61 के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रकरणों में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपीलों को कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति के बिन्दुओं पर प्रतिप्रेषित किया गया है, जिनके विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा यह अपीलें पेश की गई है उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

अ.सं.	अ.अ. की अ. संख्या	क.नि.वर्ष	शास्ति
2594/16	275/CST	2009–10	16,14,088
2595/16	274/CST	2010–11	16,74,334

2. इन दोनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही हैं।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत "सी" फार्म सम्बन्धित राज्यों के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा असत्यापित होना पाए जाने के आधार पर अस्वीकार किए गए थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी के जवाब का विश्लेषण करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत करते हुए रियायती दर से कर चुकाया गया है जबकि आलौच्य अवधियों के उक्त समस्त संव्यवहारों पर व्यवसायी का पूर्ण दर से कर जमा का दायित्व बनता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी का जवाब असंतोषनक मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपीलें कर व ब्याज को यथावत रखते हुए शास्ति के बिन्दुओं पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई। जिनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत विभाग द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई हैं।

लगातार.......................2

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य यह थे कि व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत "सी" फार्म सम्बन्धित राज्यों के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा असत्यापित होना पाए जाने के आधार पर अस्वीकार किए गए थे। अपीलीय अधिकारी ने बोगस "सी" फार्म के बिन्दु पर संव्यवहार सत्यापित करने हेतु निर्देशित किया है और संव्यवहार बोगस पाये जाने की स्थिति में शास्ति आरोपण हेतु आदेश दिया है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की है अतः कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पालना में पूर्ण जांच एवं सत्यापन के अनुसार नियमानुसार आदेश पारित करे।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य